

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश,  
विन्ध्याचल भवन, प्रथम तल खण्ड "घ" भोपाल

क्रमांक : 8459 / बजट / 2018  
प्रति,

दिनांक: 17 / 12 / 2018

समस्त,  
जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी  
मध्यप्रदेश

विषय:- जिला खाद्य कार्यालयों को Computer Hardware हेतु बजट आवंटन बावत्।

—00—

विषयान्तर्गत के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये जिला खाद्य कार्यालयों को कम्प्यूटर हार्डवेयर उपलब्ध कराये जाने हेतु राशि रु. 62,92,000/- (रुपये बाराठ लाख बानवे हजार मात्र) मांग संख्या 39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मुख्य शीर्ष 2408- खाद्य भंडारण एवं भंडागार और उपमुख्य शीर्ष -01 खाद्य, लघुशीर्ष -102 खाद्यसहायता, योजना क्रमांक 7367- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन परियोजना, सेगमेंट कोड 0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य के उद्देश्य शीर्ष #22 कार्यालय व्यय-013 उपकरण का कय मद अन्तर्गत निम्नानुसार जिलों को बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.	जिला	राशि (रुपये में)
1	2	4
1	आगर	121000
2	अलीराजपुर	121000
3	अनूपपुर	121000
4	अशोकनगर	121000
5	बालाघाट	121000
6	बड़वानी	121000
7	बैतूल	121000
8	भिण्ड	121000
9	भोपाल	121000
10	बुरहानपुर	121000
11	छतरपुर	121000
12	छिन्दवाड़ा	121000
13	दमोह	121000
14	दतिया	121000
15	देवास	121000
16	धार	121000
17	डिण्डोरी	121000
18	गुना	121000
19	ग्वालियर	121000
20	हरदा	121000
21	होशंगाबाद	121000
22	इन्दौर	121000
23	जबलपुर	121000
24	झाबुआ	121000
25	कटनी	121000
26	खंडवा	121000
27	खरगौन	121000
28	मण्डला	121000

क्र.	जिला	राशि (रूपये में)
29	मन्दसौर	121000
30	मुरैना	121000
31	नरसिंहपुर	121000
32	नीमच	121000
33	पन्ना	121000
34	रायसेन	121000
35	राजगढ़	121000
36	रतलाम	121000
37	रीवा	121000
38	सागर	121000
39	सतना	121000
40	सीहोर	121000
41	सिवनी	121000
42	शहडोल	121000
43	शाजापुर	121000
44	शयोपुर	121000
45	शिवपुरी	121000
46	सीधी	121000
47	सिंगरौली	121000
48	टीकमगढ़+निवाड़ी	242000
49	उज्जैन	121000
50	उमरिया	121000
51	विदिशा	121000
52	कुल	6292000

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

उक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन प्रदाय किया जाता है।

- (1) राशि का व्यय नियमानुसार अविलम्ब किया जावे एवं किसी भी परिस्थिति में व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो।
- (2) बजट का उपयोग शासन एवं वित्त विभाग के नियम/निर्देशों के अनुरूप व्यय करना सुनिश्चित करें।
- (3) आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण,  
o/c भोपाल

दिनांक: 19/12/2018

पृ. क्रमांक : 8460/बजट/2018  
प्रतिलिपि:-

1. महालेखकार, लेखा एवं हकदारी, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर जिला समस्त मध्यप्रदेश।
3. कोषालय अधिकारी समस्त जिला मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक (वित्त)  
खाद्यनागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण,  
o/c भोपाल